न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी/ /2013

299
R 1295-I/13

1. अनारीबाई विधवा अनारसिंह खेलवाल
उम्र 65 वर्ष निवासी छावनी आगर
2. किशोर पिता सुभाष कुलथिया
उम्र 35 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर
आगर जिला शाजापुर

.....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
आगर मालवा जिला शाजापुर म.प्र.
2. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शाजापुर
म.प्र.
3. श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर
4. श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन

......प्रतिनिगरानीकर्तागण

<u>निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आगर के प्रकरण कमांक 12/जांच/2012–13 में पारित प्रोसिटिंग आदेश दिनांक 23.03.2013 तथा इसी प्रकरण में अपर कलेक्टर शाजापुर द्वारा पारित प्रोसिटिंग आदेश दिनांक 23.03.2013 तथा अनुविभागीय अधिकारी आगर द्वारा पारित प्रोसिटिंग आदेश 25.03.2013 से दुखी होकर निम्नानुसार प्रस्तुत है:–</u>

माननीय महोदय,

1:– यह कि निगरानीकर्तागणों के पक्ष में तहसीलदार आगर द्वारा पंजी कमांक 24 से दिनांक 17.03.2006 को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि रकबा 1.180 हे. कुल कीता 3 सर्वे नम्बरान पर नामांतरण प्रमाणित किया।

2:– यह कि उक्त पारित नामांतरण पंजी कमांक 24 के विरूद्ध अपीलाण्ट आनन्द व अशोक कुमार पिता अनारसिंह द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां अपील पेश की गई जो प्रकरण कमांक 63/अपील/2005–06 पर दर्ज हुई तथा आदेश दिनांक 26.02.2007 से अनुविभागीय अधिकारी आगर द्वारा उक्त अपील निरस्त कर दी गई तथा तहसीलदार महोदय द्वारा पारित नामांतरण कमांक 24 दिनांक 17.03.2006 बहाल रखा गया।

3:– यह कि अपील निरस्त होने के दिनांक 26.02.2007 के पश्चात से कोई द्वितीय अपील किसी भी संबंधित पक्षकार द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक नहीं की गई। इस तरह एसडीओ आगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2007 अंतिम होकर सभी पक्षकारों पर बंधनकारक हो गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 26.02.2007 प्रकरण कमांक 63/अपील/2005–06 जिला अभिलेखागार शाजापुर में दाखिल रिकार्ड करवा दिया गया तथा उक्त प्रकरण कमांक 63/अपील/2005–06 मियादी प्रकरण होने से दिनांक 7.09.2011 को

XXIX(a)-BR(H)-11

299

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1295-एक/13 **जिला - शाजापुर**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	